पत्रांक–योजना बजट–35 / 2012 / प०व०

बिहार सरकार

पर्यावरण एवं वन विभाग

प्रेषक,

रत्नेश झा,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक–......./ 08 / 2016

विषय : वित्तीय वर्ष 2016–17 में पथ तट फार्म योजनान्तर्गत स्थापित मुख्यमंत्री निजी (पॉपलर) पौधशालाओं के विरूद्ध कृषकों को नियामनुसार प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किस्त की निर्धारित राशि के भुगतान एवं अन्य कार्य हेतु पूरी योजना राशि ₹ 1310.97 लाख (तेरह करोड़ दस लाख सनतानवे हजार ₹ मात्र) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक कृषि रोड मैप में हरियाली मिशन के अन्तर्गत वृक्षों के आवरण में 15% तक वृद्धि किये जाने के उद्देश्य से कृषि वानिकी के तहत कृषकों द्वारा बड़े पैमाने पर पॉपलर पौधा लगाये जा रहे है। इस क्रम में वित्तीय वर्ष 2016–17 में वृहत मात्रा में कुल 6522000 पॉपलर पौधा प्राप्त करने के लक्ष्य प्राप्ति के उद्देश्य से उच्च गुणवत्ता के पॉपलर पौधे कृषकों को उपलब्ध कराने हेतु विगत वित्तीय वर्ष 2015–16 में 15 वन प्रमंडलों में कृषकों द्वारा कुल 1087 मुख्यमंत्री निजी (पॉपलर) पौधशाला स्थापित किया गया एवं उक्त पौधशालाओं में कुल 10870000 पॉपलर पौधे लगाये गये हैं। इन स्थापित पॉपलर पौधशालाओं के विरूद्ध कृषकों को नियमानुसार प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किस्त की निर्धारित राशि के भुगतान एवं अन्य कार्य का परिशिष्ट–1 के अनुरूप क्रियान्वन हेतु पथ तट फार्म योजनान्तर्गत पूरी योजना राशि ₹ 1310.97 लाख (तेरह करोड़ दस लाख सनतानबें हजार ₹ मात्र) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस राशि की निकासी मुख्य शीर्ष–2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01–वानिकी, लघु शीर्ष–800–अन्य व्यय, माँग संख्या–19, उप शीर्ष– 01 05–पथ तट फार्म, विपत्र कोड–P2406018000105 के विषय शीर्ष–02 01–मजदूरी, 27 01–लघु कार्य तथा मुख्य शीर्ष–2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01–वानिकी, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या–19, उप शीर्ष–01 03–पथ तट फार्म, विपत्र कोड–P2406017890103 के विषय शीर्ष–02 01–मजदूरी के अन्तर्गत उपलब्ध मूल उपबंधित राशि के तहत की जायेगी।

प्रस्तावित योजना का क्रियान्वयन मूल उपबंधित राशि से किया जायेगा तथा वचनबद्ध राशि का व्यय प्रथम अनुपूरक आगणन के माध्यम से उपलब्ध उपबंधित राशि से किया जायेगा।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वन प्रमंडल पदाधिकारी, भागलपुर, पूर्णियाँ, सहरसा, सुपौल, अररिया, तिरहुत, सीतामढ़ी, मिथिला, बेगूसराय, समस्तीपुर, सारण, वैशाली, गोपालगंज, मोतिहारी एवं बेतिया होंगे तथा राशि की निकासी उनके संबद्ध जिला कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।

4. विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक दिनांक–20.07.02016 की कार्यवाही ज्ञापांक–4119 दिनांक–21.07.2016 द्वारा प्रस्ताव–1 के रूप में स्वीकृति की अनुशंसा एवं प्रस्ताव में संचिका के पृष्ठ–83/टि० पर दिनांक–04.08.2016 को वित्त मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है।

5. प्रारूप में संचिका के पृष्ठ–85/टि० पर दिनांक–09.08.2016 को आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

6. इस राशि का आवंटन, निकासी एवं व्यय बिहार कोषागार संहिता में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

7. इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. कार्य स्थल पर कार्यों के नियमित पर्यवेक्षण का कार्य प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना द्वारा तथा योजना क्रियान्वयन का अनुश्रवण प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहर, पटना द्वारा किया जायेगा।

9. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना द्वारा उपलब्ध कराया गया प्राक्कलन जो परिशिष्ट–01 के रूप में संलग्न है, के अनुरूप ही योजनाओं को पूर्ण किया जायेगा। यदि योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की अनियमितता होती है तो इसके लिए कार्यान्वयन एवं निरीक्षण/पर्यवेक्षण में संलग्न पदाधिकारियों की जिम्मेवारी होगी।

10. इस योजना में दिये गये प्रथम अग्रिम से कार्य योजना की गुणवत्ता एवं भौतिक प्रगति से पूर्णतः संतुष्ट होने तथा इसकी प्रविष्टि मापी पुस्तिका में हो जाने तथा तथा क्रियान्वयन संबंधी प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही सक्षम पदाधिकारी द्वारा अग्रिम की

अगली किस्त निर्गत की जायेगी तथा स्वीकृत राशि के विरूद्ध कराये गये कार्यों का स्वयं संतुष्टि एवं स्थल जाँच संबंधी प्रमाण–पत्र संधारित किया जायेगा तथा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

11. कार्य स्थल पर आम जनसाधारण की जानकारी एवं पारदर्शिता के निमित्त योजना की विवरणी का निर्धारित माप दण्ड के अनुसार सूचना पट्ट पर इसे प्रदर्शित किया जायेगा।

अनुलग्नक – यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(रत्नेश झा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–योजना बजट–35/2012 4323 /प०व० पटना–15, दिनांक–09.../08/2016

प्रतिलिपि :– (सानुलग्नक) वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं उनके सम्बद्ध कोषागार पदाधिकारियों/वित्त मंत्री के आप्त सचिव/मंत्री, पर्यावरण एवं वन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार/आई०टी० मैनेजर/बजट शाखा (दो प्रतियों में), पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Jha 9/8/16
(रत्नेश झा)
सरकार के उप सचिव

परिशिष्ट–1

मुख्यमंत्री निजी (पॉपलर) पौधशाला योजना (वित्तीय वर्ष 2015–16 में स्थापित)

क्र.सं.	कार्य	इकाई	इकाई दर																
	प्रमंडल का नाम–			भागलपुर		पूर्णियाँ		सहरसा		सुपौल		अररिया		तिरहुत		सीतामढ़ी		मिथिला	
	किसानों / इकाई की संख्या			30		46		45		50		40		150		55		50	
	पॉपलर ई०टी०पी० की संख्या / आवश्यकता			60000		92000		90000		100000		80000		300000		110000		100000	
	पौधों की संख्या			300000		460000		450000		500000		400000		1500000		550000		500000	
	10 फीट या उससे उपर प्राप्त पौधों की अनुमानित संख्या			180000		276000		270000		300000		240000		900000		330000		300000	
	प्रथम किश्त		रूपये	भौ०	वित्तीय	भौ०	वित्तीय	भौ०	वित्तीय	भौ०	वित्तीय	भौ०	वित्तीय	भौ०	वित्तीय	भौ०	वित्तीय	भौ०	वित्तीय
1	पॉपलर पौधशाला (किसान की आवश्यकता से पौधशाला से पौधों की आपूर्ति कराना ई.टी.पी. उखड़वाना, टूकड़ा करवाना, उपचार कराना, आपूर्ति तक का पूरा काम (S.R. Item code no. 14.2)	प्रति पौधा (ETP)	2.00	60000	120000	92000	184000	90000	180000	100000	200000	80000	160000	300000	600000	110000	220000	100000	200000
2	पॉपलर पौधशाला के लिए पौधों की ढुलाई मुख्यालय से वितरण केन्द्र तक (S.R. Item code no. 14.3)	प्रति पौधा (ETP)	0.50	60000	30000	92000	46000	90000	45000	100000	50000	80000	40000	300000	150000	110000	55000	100000	50000
3	नर्सरी संचालकों को प्रथम किस्त का भुगतान (20 प्रतिशत) 10.25 का 20 प्रतिशत (ETP x 5 = पौधों की संख्या मान कर) (S.R. Item code no. 14.1.1)	प्रति पौधा	2.05	300000	615000	460000	943000	450000	922500	500000	1025000	400000	820000	1500000	3075000	550000	1127500	500000	1025000
4	विविध, आकस्मिक व्यय प्रति प्रमंडल (कम्प्यूटर ऑपरेटर, मॉनिटरिंग हेतु चार माह तक कुशल मजदूर का मानदेय, अनुश्रवण एवं भ्रमण आदि पर व्यय) 5 पैसा प्रति पौधा कुल पौधों का (S.R. Item code no. 14.4)	प्रति कार्या०			47000		55000		54500		57000		52000		107000		59500		57000
	योगः–				**812000**		**1228000**		**1202000**		**1332000**		**1072000**		**3932000**		**1462000**		**1332000**
	वित्तीय वर्ष 2016–17 (द्वितीय एवं तृतीय किश्त)																		
6	नर्सरी संचालकों को द्वितीय किस्त का भुगतान (30 प्रतिशत) 10.25 का 30 प्रतिशत (S.R. Item code no. 14.1.2)	प्रति पौधा	3.07	300000	921000	460000	1412200	450000	1381500	500000	1535000	400000	1228000	1500000	4605000	550000	1688500	500000	1535000
7	नर्सरी संचालकों को तृतीय किस्त का भुगतान (50 प्रतिशत) 14.13 का 50 प्रतिशत (कुल पौधे का 60% उत्तरजीविता मानते हुए (S.R. Item code no. 14.1.3)	प्रति पौधा	9.88	180000	1778400	276000	2726880	270000	2667600	300000	2964000	240000	2371200	900000	8892000	330000	3260400	300000	2964000
8	किसान के आवश्यकतानुसार से पौधशाला से पौधों की आपूर्ति कराना ई.टी.पी. उखड़वाना, टूकड़ा करवाना, उपचार कराना, आपूर्ति तक का पूरा काम। पौधों की संख्या X 70 प्रतिशत का 20 प्रतिशत (S.R. Item code no. 14.5)	per ETP	2.00	42000	84000	64400	128800	63000	126000	70000	140000	56000	112000	210000	420000	77000	154000	70000	140000

क्र.सं.	कार्य	इकाई	इकाई दर	मुख्यमंत्री निजी (पॉपलर) पौधशाला योजना (वित्तीय वर्ष 2015–16 में स्थापित)															
	प्रमंडल का नाम–			भागलपुर		पूर्णियाँ		सहरसा		सुपौल		अररिया		तिरहुत		सीतामढ़ी		मिथिला	
	किसानों / इकाई की संख्या			30		46		45		50		40		150		55		50	
	पॉपलर ई०टी०पी० की संख्या/ आवश्यकता			60000		92000		90000		100000		80000		300000		110000		100000	
	पौधों की संख्या			300000		460000		450000		500000		400000		1500000		550000		500000	
	10 फीट या उससे उपर प्राप्त पौधों की अनुमानित संख्या			180000		276000		270000		300000		240000		900000		330000		300000	
	प्रथम किश्त		रूपये	भौ०	वित्तीय	भौ०	वित्तीय	भौ०	वित्तीय	भौ०	वित्तीय	भौ०	वित्तीय	भौ०	वित्तीय	भौ०	वित्तीय	भौ०	वित्तीय
9	विविध, आकस्मिक व्यय प्रति प्रमंडल (मॉनिटरिंग,कम्प्यूटर ऑपरेटर पारिश्रमिक आठ माह एवं अन्य व्यय– 5 पैसा प्रति पौधा) कुल पौधों का (S.R. Item code no. 14.6)	प्रति प्रमंडल			79000		87000		86500		89000		84000		139000		91500		89000
	योगः–				2862400		4354880		4261600		4728000		3795200		14056000		5194400		4728000
	सकल योगः–				3674400		5582880		5463600		6060000		4867200		17988000		6656400		6060000

9/8/16
उप सचिव
पर्यावरण एवं वन विभाग
बिहार, पटना

17.7.16

क्र.सं.	कार्य	इकाई	इकाई दर	मुख्यमंत्री निजी (पॉपलर) पौधशाला योजना (वित्तीय वर्ष 2015–16 में स्थापित)															
	प्रमंडल का नाम–			बेगूसराय		समस्तीपुर		सारण		वैशाली		गोपालगंज		मोतिहारी		बेतिया		कुल	
	किसानों / इकाई की संख्या			60		80		10		141		50		80		200		1087	
	पॉपलर ई०टी०पी० की संख्या/ आवश्यकता			120000		160000		20000,		282000		100000		160000		400000		2174000	
	पौधों की संख्या			600000		800000		100000		1410000		500000		800000		2000000		10870000	
	10 फीट या उससे उपर प्राप्त पौधों की अनुमानित संख्या			360000		480000		60000		846000		300000		480000		1200000		6522000	
	प्रथम किश्त		रूपये	भौ०	वित्तीय	भौ०	वित्तीय	भौ०	वित्तीय	भौ०	वित्तीय	भौ०	वित्तीय	भौ०	वित्तीय	भौ०	वित्तीय	भौ०	वित्तीय
1	पॉपलर पौधशाला (किसान की आवश्यकता से पौधशाला से पौधों की आपूर्ति कराना ई.टी.पी. उखड़वाना, टूकड़ा करवाना, उपचार कराना, आपूर्ति तक का पूरा काम (S.R. Item code no. 14.2)	प्रति पौधा (ETP)	2.00	120000	240000	160000	320000	20000	40000	282000	564000	100000	200000	160000	320000	400000	800000	2174000	4348000
2	पॉपलर पौधशाला के लिए पौधों की ढुलाई मुख्यालय से वितरण केन्द्र तक (S.R. Item code no. 14.3)	प्रति पौधा (ETP)	0.50	120000	60000	160000	80000	20000	10000	282000	141000	100000	50000	160000	80000	400000	200000	2174000	1087000
3	नर्सरी संचालकों को प्रथम किस्त का भुगतान (20 प्रतिशत) 10.25 का 20 प्रतिशत (ETP x 5 = पौधों की संख्या मान कर) (S.R. Item code no. 14.1.1)	प्रति पौधा	2.05	600000	1230000	800000	1640000	100000	205000	1410000	2890500	500000	1025000	800000	1640000	2000000	4100000	10870000	22283500
4	विविध, आकस्मिक व्यय प्रति प्रमंडल (कम्प्यूटर ऑपरेटर, मॉनिटरिंग हेतु चार माह तक कुशल मजदूर का मानदेय, अनुश्रवण एवं भ्रमण आदि पर व्यय) 5 पैसा प्रति पौधा कुल पौधों का (S.R. Item code no. 14.4)	प्रति कार्या०			62000		72000		37000		102500		57000		72000		132000		1023500
	योगः–				1592000		2112000		292000		3698000		1332000		2112000		5232000		28742000
	वित्तीय वर्ष 2016–17 (द्वितीय एवं तृतीय किश्त)																		
6	नर्सरी संचालकों को द्वितीय किस्त का भुगतान (30 प्रतिशत) 10.25 का 30 प्रतिशत (S.R. Item code no. 14.1.2)	प्रति पौधा	3.07	600000	1842000	800000	2456000	100000	307000	1410000	4328700	500000	1535000	800000	2456000	2000000	6140000	10870000	33370900
7	नर्सरी संचालकों को तृतीय किस्त का भुगतान (50 प्रतिशत) 14.13 का 50 प्रतिशत (कुल पौधे का 60% उत्तरजीविता मानते हुए (S.R. Item code no. 14.1.3)	प्रति पौधा	9.88	360000	3556800	480000	4742400	60000	592800	846000	8358480	300000	2964000	480000	4742400	1200000	11856000	6522000	64437360
8	किसान के आवश्यकतानुसार से पौधशाला से पौधों की आपूर्ति कराना ई.टी.पी. उखड़वाना, टूकड़ा करवाना, उपचार कराना, आपूर्ति तक का पूरा काम। पौधों की संख्या X 70 प्रतिशत का 20 प्रतिशत (S.R. Item code no. 14.5)	per ETP	2.00	84000	168000	112000	224000	14000	28000	197400	394800	70000	140000	112000	224000	280000	560000	1521800	3043600

219

क्र.सं.	कार्य	इकाई	इकाई दर	मुख्यमंत्री निजी (पॉपलर) पौधशाला योजना (वित्तीय वर्ष 2015–16 में स्थापित)															
	प्रमंडल का नाम–			बेगूसराय		समस्तीपुर		सारण		वैशाली		गोपालगंज		मोतिहारी		बेतिया		कुल	
	किसानों / इकाई की संख्या			60		80		10		141		50		80		200		1087	
	पॉपलर ई०टी०पी० की संख्या / आवश्यकता			120000		160000		20000		282000		100000		160000		400000		2174000	
	पौधों की संख्या			600000		800000		100000		1410000		500000		800000		2000000		10870000	
	10 फीट या उससे उपर प्राप्त पौधों की अनुमानित संख्या			360000		480000		60000		846000		300000		480000		1200000		6522000	
	प्रथम किश्त		रूपये	भौ०	वित्तीय	भौ०	वित्तीय	भौ०	वित्तीय	भौ०	वित्तीय	भौ०	वित्तीय	भौ०	वित्तीय	भौ०	वित्तीय	भौ०	वित्तीय
9	विविध, आकस्मिक व्यय प्रति प्रमंडल (मॉनिटरिंग,कम्प्यूटर ऑपरेटर पारिश्रमिक आठ माह एवं अन्य व्यय– 5 पैसा प्रति पौधा) कुल पौधों का (S.R. Item code no. 14.6)	प्रति प्रमंडल			94000		104000		69000		134500		89000		104000		164000		1503500
	योगः–				5660800		7526400		996800		13216480		4728000		7526400		18720000		102355360
	सकल योगः–				7252800		9638400		1288800		16914480		6060000		9638400		23952000		131097360

Technical Sanction accorded for Rs. 1310.97 lakhs only.

9/8/16
उप सचिव
पर्यावरण एवं वन विभाग
बिहार, पटना

5/7/16
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार